न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 262/2023

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. हीराराम पुत्र पुनाराम 2. कोजाराम पुत्र अमराराम 3. गुणेशाराम पुत्र दुर्गाराम (सभी जाति जाट, निवासी बीगा देवनगर, तह0 सेखाला, जिला जोधपुर)		1. दीपाराम पुत्र लूम्बाराम 2. जेठाराम पुत्र लूम्बाराम 3. देदाराम पुत्र लूम्बाराम 4. पेपाराम पुत्र लूम्बाराम 5. धनी पुत्री लूम्बाराम 6. चम्पा पुत्री लूम्बाराम 7. प्रेमी पुत्री लूम्बाराम 8. आदुराम पुत्र पन्नाराम 9. भंवरलाल पुत्र पन्नाराम 10. आादूराम पुत्र जोगाराम 11. भींयाराम पुत्र जोगाराम 12. ओमप्रकाश पुत्र रूघनाथराम 13. खेमाराम पुत्र रूघनाथराम 14. बुधाराम पुत्र रूघनाथराम 15. बाबूराम पुत्र रूघनाथराम 16. हडमानराम पुत्र रूघनाथराम 17. कृष्णराम पुत्र केसाराम 18. गणपतराम पुत्र चनणाराम 19. घमण्डाराम पुत्र चनणाराम 20. बगराराम पुत्र चनणाराम 21. बाबु देवी पत्नी चनणाराम 22. जेठाराम पुत्र सादूलाराम 23. दीपाराम पुत्र सादूलाराम 24. बिडदाराम पुत्र सादूलाराम 25. मगाराम पुत्र सादूलाराम 26. मांगीलाल पुत्र सादूलाराम 27. लाभूदेवी पत्नी सादूलाराम 28. पेपाराम पुत्र बिरमाराम उर्फ वीरमाराम 29. बाबुराम पुत्र बिरमाराम उर्फ वीरमाराम 30. मगाराम पुत्र बिरमाराम उर्फ वीरमाराम 31. बगताराम पुत्र बीरमाराम 32. मंगलाराम पुत्र रामूराम 33. लिखमाराम पुत्र रामूराम 34. सोनाराम पुत्र रामूराम 35. हडमानराम पुत्र रामूराम 36. चंदूदेवी पत्नी मोहनराम 37. पप्पु पुत्री मोहनराम नाबालिग 38. खेताराम पुत्र मोहनराम नाबालिग (प्रत्यर्थी संख्या 37 व 38 जरिये माता चन्दूदेवी पत्नी स्व0 मोहनराम) 39. मोहनराम पुत्र केसाराम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

40. रूकीदेवी पत्नी केसाराम
(सभी जाति जाट, निवासी मुलेजी का बेरा, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर)
41. राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार सेखाला

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बालेसर राजस्व मुकदमा नम्बर 62/2022 आदेश दिनांक 04.04.2023

उपस्थिति –
1. श्री लाधूराम पूनिया वकील अपीलांट
2. श्री चेतनराम जाखड, रेस्पा0सं0 1 से 40
3. नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 41 की ओर से

निर्णय

दिनांक 07.06.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया–रेस्पोडेंटगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 प्रस्तुत कर तहसील सेखाला के ग्राम मुलेजी स्थित अपने संयुक्त खातेदारी खसरा नं0 2351 रकबा 26.6606 हैक्टर भूमि की तरमीम(सीमांकन) किया जाकर नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी करवाने हेतु प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.04.2023 द्वारा स्वीकार कर प्रार्थी–रेस्पोडेंटगण की उल्लेखित खसरान की भूमि का सीमाज्ञान कर, पत्थरगढी करवाने का आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अंतर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रा0प0 प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट्स ग्राम बीगा– देवनगर स्थित खसरा नं0 564 रकबा 3.5612 हैक्टर भूमि के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। उक्त खातेदारी भूमि के चारों तरफ गांव की सीमा से लेकर पुरानी तारबंदी की हुई है। रेस्पोडेंटगण के उल्लेखित खसरान की भूमि अन्य गांव मूलेजी का बेरा में आयी हुई है। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंटान के खेतों के बीच दोनों गांवों की काकड सीमा है। प्राथी–रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ग्राम मुलेजी का बेरा के वर्तमान खसरा नं0 2351 रकबा 26.6606 हैक्टर भूमि के पडौसी खेतों की सीमा के मध्य कोई पक्की माठ मुटाम मौके पर नही होने से पैमाईश सीमा चिन्हों से नाप कर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। प्रार्थी का खसरान किन–किन खसरा नम्बर के बीच कहा आया हुआ है इसका उल्लेख नही किया गया। वस्तुतः प्रार्थी का ख0नं0 2351 ग्राम मूलेजी का बेरा की आखरी सीमा पर आया हुआ है, जिसके एक तरफ अपीलांट्स के ग्रम बीगादेवनगर की सीमा लगती है तथा दूसरी तरफ तहसील ओसियां का गांव एकलखोरी व तहसील तिंवरी का ग्राम चेराई आया हुआ है। जिसके तीन तरफ सेटलमेंट के समय से पक्के सीमाचिन्ह नेखम लगे हुए है तथा मौके पर पक्की पुरानी माठे है। उक्त तथ्यों को प्रार्थना पत्र में छुपाया गया है, पत्थरगढी के आदेश से पूर्व इसकी जांच आवश्यक है। इसके अलावा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रेस्पो0 द्वारा अपीलांट्स को पक्षकार नही बनाया गया, जिससे उसे सुनवाई का अवसर नही मिला।

राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 110 के तहत दो गांवो के बीच की सीमा को किसी को भी छेडछाड करने का अधिकार नही है तथा उक्त गांवो की सीमा का विवाद प्रस्तुत होने पर सीमा का निर्धारण केवल जिला कलेक्टर ही तय कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में वास्तविक सीमा विवाद की कोई जांच नही की गई। स्वयं प्रार्थीगण ने अपने खसरान की तीन तरफ अन्य गांव की सीमा लगने के तथ्य को छुपाया गया है। प्रकरण में तहसीलदार से मौके की पैमाईश रिपोर्ट तलब किए बिना ही सीधा पत्थगढी का आदेश पारित कर दिया गया। जो विधि, अभिलेख एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि प्रकरण में पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाये जाने से प्रार्थीगण को न्याय मिलने में अत्यधिक विलंब होगा, जो आरएलआर एक्ट की धारा 111, 128 के अनिवार्य प्रावधानों के विपरित होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब मे रेस्पो0सं0 1 से 40–प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रार्थीगण ग्राम मूलेजी का बेरा स्थित खसरा नं0 2351 की संयुक्त खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान एवं नेखमबंदी/पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। प्रार्थीगण के पडौसी खेतों की सीमा के कोई भी पक्के मुटाम मौके पर नही है, जिससे किसी को अपने खेतों की सीमा का ज्ञान नही होने से सभी अक्सर परेशान रहते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में सीमा चिन्हों से नाप कर मौके पर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया गया है। अपीलाधीन आदेश में भी तहसीलदार सेखाला को वादग्रस्त भूमि की पैमाईश कर पडौसी खातेदारों के

विशेष संभागीय आयुक्त

रूबरू सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने हेतु आदेशित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि मौका फर्द पैमाईश दिनांक 26.5.22 के अनुसर प्रकरण में अपीलांट व रेस्पो0 के खसरान दो गांवों की सीमा के मध्य स्थित होने से, सीमाचिन्हों को लेकर आपसी विवाद है। यह भी प्रकट है कि प्रार्थी–रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदार–अपीलांट्स को पक्षकार नही बनाया गया, जिससे उसे सुनवाई का अवसर नही मिला। तहसीलदार सेखाला के पत्र कमांक 107 दिनांक 22.2.23 द्वारा प्रेषित जवाब/रिपोर्ट में यह उल्लेखित है कि "पडौसी खातेदारों को नोटिस देकर प्रार्थीगण को सूचित करवाते हुए खसरा नं0 2351 की पत्थरगढी करवायी जाती है, तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है। अतः प्रकट तथ्यों के मद्धेनजर प्रकरण में विधि अनुसार पत्थरगढी का आदेश पारित करने से पूर्व, पडौसी खातेदारों की सुनवाई व तहसीलदार की मौका पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर (जोधपुर) द्वारा राजस्व मुकदमा नम्बर 62/2022 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.04.2023 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंटगण तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान/सह–खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 07 जून, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

07.06.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर